न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.
प्रशासन गांवों के संग अभियान कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत बाडमेर मगरा
राजस्व आवेदन संख्या :— 258 / 2023

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 भोपालराम पुत्र प्रहलादराम 2 अशोक कुमार 3 किशनलाल 4 दुर्गेश कुमार परिहार पिसरान भोपालराम 5 राकियादेवी पत्नी भोपालराम जाति माली निवासी मालियों का वास, शास्त्री नगर बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।		1 लीलादेवी पत्नी धुधलाराम जाति माली निवासी शास्त्री नगर बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर 2 तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act.

उपस्थिति :—

1 श्री कैलाश कुमार, वकील प्रार्थीगण।

2 श्री दीक्षित कुमार, वकील अप्रार्थी संख्या 01।

आदेश

दिनांक 04/07/23

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण खातेदारी की भूमि मौजा बाडमेर मगरा पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2497 / 519 रकबा 2.1044 हैक्टयर भूमि आई हुई है, जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण के सेढा सेढ अप्रार्थी संख्या 01 का खसरा संख्या 2498 / 519 रकबा 2.7519 हैक्टेयर भूमि के आये हुए है। प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी संख्या 01 के खेतों के बीच की तरमीम हुई परन्तु लठ्ठा ट्रेस में की गई तरमीम मौके के अनुसार नही कर राजस्व अधिकारियों ने बिना जांच किये तथा पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार न कर गलत तरमीम अंकित की दी गई प्रार्थीगण मौके पर संलग्न परिशिष्ठ "अ" में बरंग लाल के अनुसार कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण की भूमि मौजा बाडमेर मगरा पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2497 / 519 रकबा 2.1044 हैक्टयर भूमि की तरमीम गलत कर दी गई, जिसे प्रार्थीगण परिशिष्ठ "अ" में बरंग लाल के अनुसार तरमीम दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत मौजा बाडमेर मगरा पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2497 / 519 रकबा 2.1044 हैक्टयर भूमि की तरमीम परिशिष्ठ "अ" में बरंग लाल मौके पर कब्जा काश्त अनुसार दुरूस्त करवाने के आदेश फरमावे।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 01 ने उपस्थित होकर अभिकथन किया कि प्रार्थीगण के सेढा–सेढ अप्रार्थी संख्या 01 का खेत खसरा संख्या 2498 / 519 रकबा 2.7519 हैक्टेयर आये हुए है तथा प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत खसरा संख्या 2497 / 519 रकबा 2.1044 हैक्टयर भूमि की प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ

उपखण्ड अधिकारी
बा...र

' में बरंग लाल अनुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरूस्त की जाती है तो अप्रार्थी संख्या 01 को कोई आपति नही है। प्रशासन गावों के संग अभियान कोर्ट केम्प बाडमेर मगरा में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत तरमीम के सम्वन्ध में पूछा गया जिसके सम्बन्ध में कोई आपति प्रस्तुत नही की गई।

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व दस्तावेज जमाबन्दी संवत 2074–2077, नक्शा तथा परिशिष्ठ 'अ' का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं राजस्व दस्तावेजों के मद्देनजर प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत मौजा बाडमेर मगरा पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2497/519 रकबा 2.1044 हैक्टयर भूमि की तरमीम परिशिष्ठ "अ" में बरंग लाल होना अप्रार्थी संख्या 01 ने स्वीकार किया है। मौजा बाडमेर मगरा पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2497/519 रकबा 2.1044 हैक्टयर भूमि के सम्बन्ध में वर्तमान मौके व कब्जा काश्त परिशिष्ठ "अ" में बरंग लाल अनसुार शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा बाडमेर मगरा पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2497/519 रकबा 2.1044 हैक्टयर भूमि की लठ्ठा ट्रेस में की गई अशुद्ध तरमीम को निरस्त की आवेदन के संलग्न परिशिष्ठ "अ" में बरंग लाल अनुसार लठ्ठा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त (शुद्धिकरण) करने के आदेश दिये जाते है तथा तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण तदनुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ "अ" आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 04/07/23 को सरे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर